कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला ग्वालियर म0प्र0

क्रमांक:क्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा–144/2021/636 ग्वालियर, दिनांक:01/12/2021

।। आ दे श ।।

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

अपर जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर (म.प्र.)

कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01.12.2021 को वीडियो कार्फेसिंग के माध्यम से जिला क्राइसेस मेनेजमेंट समिति की बैठक में संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं उसकी रोकथाम हेतु दिशा निर्देश प्रदाय किये गये।

अतः ग्वालियर जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव, आमजन के स्वास्थ्य एवं जान–माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत आदेश देत हूं कि :–

1– मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांकः एफ 44–4/2020/20–2 दिनांक 28.11.2021 के परिपालन में ग्वालियर जिले में समस्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी।

2– विद्यालयों में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में डिजिटल माध्यम से ऑन लाईन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।

3– समस्त विद्यालयों में अर्द्ध वार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संचालित होंगी।

कोविड–19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन संबंधी अन्य दिशा निर्देश –

1– सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगायें । सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है।

2– "नो मास्क"–"नो मूवमेंट" "नो मास्क" – "नो सर्विस" का पालन सुनिश्चित हो।

3– सभी कार्यस्थलों (कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/मॉल/दुकान आदि) में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जावे तथा सामान का क्रय–विक्रय नहीं किया जावे, जिसने मास्क न लगाया हो।

4– सभी दुकानदार, प्रतिष्ठान, मॉल संचालक एवं सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक–आयोजन, मेले आदि के आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करें कि वह ऐसे कार्यक्रमों में शामिल व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य रखते हुए उसका पालन करावें।

मास्क न लगाने की स्थिति में प्रथमवार 100/– रूपये की रसीद तथा द्वितीय वार उल्लंघन पाये जाने पर 1000/– का जुर्माना तथा खुली जेल की कार्यवाही की जा सकेगी साथ ही प्रतिष्ठान/दुकान/मॉल संचालक एवं उनके यहां कार्यरत कर्मचारी इसका उल्लंघन करते हुए पाये गये, तो नियमानुसार दुकान को सील्ड करने की कार्यवाही भी की जासकेगी।

5— सभी दुकानदार, प्रतिष्ठान, मॉल संचालक एवं सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक—आयोजन, मेले आदि के आयोजनकर्ता प्रोटोकॉल नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के उपयोग आदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें।

उक्तादेश आज दिनांक 01.12.2021 मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया। उक्तादेश तत्काल प्रभावशील होगा । आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा—188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में वर्णित अनुसार दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर विभागीय वाहनों जिन पर लाउड स्पीकर लगे हैं, एवं अन्य सुसंगत माध्यमों से निःशुल्क मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको—टोको संबंधी संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित करावें । पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं इंसीडेंट कमांडर उक्तादेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक रूप से व्यक्तिशः निर्वहन कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। अपरसंचालक जन संपर्क जिले में प्रकाशित सभी समाचार—पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।
(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर म0प्र0

पृ. क्रमांकःक्यू/स्टेनो/एडीएम/धारा—144/2021/636 ग्वालियर, दिनांकः01/12/2021
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1— प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
2— रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
3— आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर
4— पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर
5— पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु साथ ही इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ थानों को तदाशय के संबंध में अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
6— आयुक्त नगर निगम ग्वालियर
7— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर
8— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी ग्वालियर
9— समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर
10— समस्त एसडीएम/तहसीलदार ग्वालियर
11— समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/एसडीओपी/थाना प्रभारी जिला ग्वालियर
12— जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर
13— पुलिस कन्ट्रोल रूम ग्वालियर
14— अपर संचालक जन सम्पर्क ग्वालियर की ओर प्रेषित कर लेख है कि जन सामान्य की जानकारी हेतु उक्तादेश इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार—पत्रों में प्रमुखता से निःशुल्क प्रकाशित करावें ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर म0प्र0